

# GOVERNOR'S SECRETARIAT, BIHAR

**RAJ BHAVAN, PATNA-800022** 

Letter No.-BSU(Statute)-08/2005- 283 / GS(I),

Dated- 15.02.2023

From.

Robert L. Chongthu

Principal Secretary to Governor

To,

**All Vice-Chancellors** 

of the Universities of Bihar

(Except BAU, Sabour, BASU, Patna)

Sub:-

Regarding approval of Career Advancement Scheme Statutes in the light of Gazette dated-18.07.2018 for its promulgation

in the Universities of Bihar.

Ref:-

BSU(Statute)-08/2005-951/GS(I), Dated-05.07.2022

Sir,

I am directed to invite your attention on the subject and reference mentioned above and to enclose herewith a copy of letter no.-15/एम 1–83/2019 (अंश 1)—197 dated-17.01.2023 alongwith its enclosures i.e. Statue Governing promotion of Teachers of the Universities and Consequent Colleges of Bihar under Career Advancement Scheme (CAS), received from the department of Education Government of Bihar, Patna, for its promugalation in the Universities of Bihar. This notification becomes operative with **immediate effect i.e. 15.02.2023**.

In this connection stay imposed earlier vide this Secretariat's letter no.- BSU(Statute)-08/2005-1097/GS(I), Dated-21.07.2022 is hereby revoked / withdrawn.

By the order of H.E-cum-Chancellor

Enclosures:-As above.

(Robert L. Chongthu)
Principal Secretary to Governor

(924)

पत्रांक 15 / एम 1-83 / 2019 (अंश-1) - 1 9 🕂

(v) 420

बिहार सरकार शिक्षा विभाग

प्रेषक,

संजय कुमार,

सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव,

राज्यपाल सचिवालय,

राजभवन्, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक । नि भी २०१३

1 8 JAN 2023

विषय:--

राज्य के विश्वविद्यालयों एवं अंगीभूत महाविद्यालयों के शिक्षकों की प्रोन्नित के लिए कैरियर एडभांसमेंट प्रोन्नित योजना, 2018 के परिनियम प्रारूप पर स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राजभवन, बिहार के पत्रांक 427 दिनांक 04.04.2022 के द्वारा राज्य- के विश्वविद्यालयों एवं अंगीसूत महाविद्यालयों के शिक्षकों की प्रोन्नित के लिए कैरियर एडभांसमेंट प्रोन्नित योजना, 2018 का प्रारूप विभागीय सहमति हेतु उपलब्ध कराया गया है। सम्यक समीक्षोपरांत कितपय संशोधन / परिमार्जन के साथ परिनियम प्रारूप पर सहमति संसूचित की जाती है। परिमार्जित परिनियम प्रारूप की हिन्दी एवं अंग्रेजी प्रति संलग्न है।

अतः अनुरोध है कि परिमार्जित रूप में परिनियम प्रारूप को अधिसूचित

परिमार्जित परिनियम प्रारूप पर मंत्रिपरिषद् की सहमति प्राप्त है। अनु0 :- यथोक्त।

> विश्वासभाजन, १२३ (संजय कुमार) सरकार के संयुक्त सचिव

W

Sugar/13



बिहार के विश्वविद्यालयों और अंगीमृत महाविद्यालयों के विभिन्न श्रेणी के शिक्षकों को दिनांक 18.07.2018 के प्रमाव से कैरियर एडमांसमेंट योजना (सी ए एस) के अधीन प्रोन्नति हेत् परिनियम

- बिहार के विश्वविद्यालयों के विभिन्न श्रेणियों के शिक्षकों की ग्रोन्नति हेतु पिछले परिनियमों में 1.0 अन्तर्निहित तथ्यों के कुछ भी विपरीत होने के बावजूद, वर्तमान परिनियम बिहार के विश्वविद्यालयों और अंगीभूत महाविद्यालयों के विभिन्न श्रेणी के शिक्षकों के प्रोन्नित हेतू प्रावधान प्रदान करते है। यह प्रोन्नंति योजना नोट-5 के अनुरूप प्रभावी होगी।
- विश्वविद्यालयों / महाविद्यालयों के शिक्षकों के प्रोन्नित हेतू यह प्रस्तावित योजना 'बिहार के 2.0 विश्वविद्यालयों और अंगीभूत महाविद्यालयों के शिक्षकों के प्रोन्नित के लिए कैरियर एडभांसमेंट योजना (सी ए एस), 2018" के नाम से जाना जायेगा।

# 3.0 परिभाषाएँ:

इस परिनियम में, जब तक कि किसी विषय या संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,

- 'विश्वविद्यालय' से अभिप्रेत है, बिहार सरकार द्वारा प्रबंधित और पोषित विश्वविद्यालय। इसमें (i) निम्न शामिल है :-
  - पंटना विश्वविद्यालय, पटना। (क)
  - बी०आर०ए० बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपूर। (ख)
  - (ग) मगध विश्वविद्यालय, बोध गया।
  - तिलका मांझा। भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर। (घ)
  - ललित नरायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा। (ভ.)
  - कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय, दरभंगा। (च)
  - वीर कुवॅर सिंह विश्वविद्यालय, आरा। (छ)
  - जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा। (ज)
  - भूपेन्द्र नारायाण मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरा। (朝)
  - मुंगेर विश्वविद्यालय, मुंगेर। (স)
  - पूर्णियाँ विश्वविद्यालय, पूर्णियाँ। (ਟ)

Seh h

- (ठ) पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, पटना।
- (ड) मौलाना मजहरूल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय, पटना।
- (ढ) नालंदा खुला विश्वविद्यालय, पटना।
- (ण) आर्यभट ज्ञान विश्वविद्यालय, पटना।
- (ii) 'महाविद्यालय' से अभिप्रेत है, सभी अंगीभूत महाविद्यालय।
- (iii) 'अकादिमक / प्रवेश स्तर'—यह स्तर सहायक प्राध्यापक का स्तर है जो संगत परिनियम के प्रावधानों के अधीन नियुक्त होंगे, वे सातवें वेतन आयोग की अनुशंसा के तहत प्रारम्भ में वेतन स्तर 10 के हकदार होंगे;
- (iv) 'वरीय वेतनमान/अकादिमक स्तर —11 से अभिप्रेत है, सातवे वेतनमान के अधीन अकादिमक स्तर 11;
- (v) 'सेलेक्शन ग्रेड/अकादिमक स्तर 12'— अकादिमक स्तर 11 प्राप्त करने वाले सहायक प्राध्यापक को अकादिमक स्तर—12 में प्रोन्नत किया जायेगा, जिसे यहाँ परिभाषित प्रावधानों के अनुसार 'सहायक प्राध्यापक सेलेक्शन ग्रेड' के रूप में परिभाषित किया जायेगा;
- (vi) 'अकादिमक स्तर 13 ए' से अभिप्रेत है, सह—प्राध्यापक का पद, अकादिमक स्तर 12 के सहायक प्राध्यापक ही, अकादिमक स्तर 13 ए में प्रोन्नित हेतु पात्र होंगे;
- (vii) 'अकादिमक स्तर 14' से अभिप्रेत है, प्राध्यापक का पद। सह प्राध्यापक जो अकादिमक स्तर-13 ए में है, अकादिमक स्तर 14 में प्रोन्नित हेतु पात्र होंगे;
- (viii) 'अकादिमक स्तर 15' से अभिप्रेत है, वरिष्ठ प्राध्यापक का पद, जो अकादिमक स्तर-14 के प्राध्यापक अकादिमक स्तर 15 में प्रोन्नित हेतु पात्र होंगे;
- (ix) 'अकादिमक स्तर' विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (वि०अ०आ०) विनियम, 2018 पर अधारित है।
- 4.0 प्रस्तावित कैरियर एडभांसमेंट योजना प्रोन्नित हेतु दिए गए फेम के अध्यधीन प्रभावी होगी।
- 4.1.0 सहायक प्राध्यापक (अकादिमक/प्रवेश स्तर (वेतन स्तर 10) से सहायक प्राध्यापक (वरीय वेतनमान/अकादिमक स्तर 11)

### योग्यता :

(i) ऐसे सहायक प्राध्यापक जिन्होंने पीं०एच०डी की उपाधि के साथ चार वर्ष की सेवा पूरी कर ली हों अथवा एम०फिल / एल०एल०एम, एम०टेक, एम.वी.एससी, एम.डी. जैसी व्यवसायिक

CAS Statutes (Sanickh 2022-23) & L

मां शाहनंदाज, पदाधिकारी, प्राप्त निदंशक सह प्रधार्ग पदाधिकारी, पहाधिक निदंशक सह प्रधार्ग (उ०िश् ०)

पाठ्यक्रमों में स्नातकोत्तर उपाधि के साथ पाँच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, अथवा पीएचडी / एम.फिल / व्यवसायिक पाठ्यक्रमों में रनातकोत्तर की उपाधि प्राप्त नहीं होने के बावजूद छः वर्ष की सेवा पूरी ली हो तथा जो निम्नांकित शत्तों को पूरा करते हों :--

- (ii) शिक्षण कार्यविधि पर 21 दिन की अविध के एक प्रबोधन पाठ्यक्रम में भाग लिया हो:
- (iii) निम्नितिखित में से कोई एक : पुनश्चर्या/शोध कार्यविधि पाठ्यक्रम/कार्यशाला/पाठ्यचर्या उन्नयन कार्यशाला/शिक्षण—ज्ञान अर्जन—मूल्यांकन प्रशिक्षण, न्यूनतम एक सप्ताह (05 दिन) का प्रोद्योगिकी कार्यक्रम/संकाय विकास कार्यक्रम, अथवा मूल्यांकन अवधि के दौरान एम ओ ओ सी पाठ्यक्रम (ई—प्रमाणन के साथ) अथवा चार—चतुर्थांश में ई—विषय वस्तु का विकास का कार्य पूरा किया हो एवं
- (iv) मूल्यांकन अवधि के दौरान यू०जी०सी० सूचीबद्ध जर्नल अथवा समकक्ष व्यक्ति समीक्षित (पियर-रिव्यूड) जर्नल में एक शोध कार्य प्रकाशित हुआ हो।
- 4.1.1 सी० ए० एस० प्रोन्नित मानदण्डः किसी शिक्षक को प्रोन्नित किया जा सकता है यदि,
- (i) उसे मूल्यांकन अविध के पिछले छः वर्षों में से कम से कम पाँच या पिछले पाँच वर्षों में से कम से कम चार या पिछले चार वर्षों में से कम से कम तीन (इनमें से जो भी लागू हो) वर्ष की वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट में संतोषजनक अथवा अच्छे ग्रेड प्राप्त हुए हो, जैसा कि तालिका 1 में विनिर्दिष्ट किया गया है।
- (ii) स्क्रीनिंग- सह-मूल्यांकन समिति द्वारा प्रोन्नति की अनुशंसा की गई हो।
- 4.2.0 सहायक प्राध्यापक (वरीय वेतनमान/अकादिमक स्तर—11) से सहायक प्राध्यापक (सेलेक्शन ग्रेड/अकादिमक स्तर 12)

# योग्यताः

- (i) ऐसे सहायक प्राध्यापक जिन्होनें अकादिमक स्तर 11/वरीय वेतनमान में पाँच वर्ष की सेवा पूरा कर ली हो।
- (ii) संगत / संबद्ध विषय में पीएच.डी की उपाधि प्राप्त की हो।
- (iii) अकादिमक स्तर-11/वरिष्ठ वेतनमान के पिछले पाँच वर्षों के दौरान निम्नलिखित में से कोई दो निष्पादित किए हो :

मूल्यांकन की अवधि के दौरान न्यूनतम दो सप्ताह (10 दिन) की अवधि (अथवा न्यूनतम दो सप्ताह (दस दिनों) की अवधि के प्रत्येक एकल पाठ्यक्रम/कार्यक्रम के स्थान पर कम से कम एक सप्ताह (पांच दिन) की अवधि के दो पाठ्यक्रम पूर्ण किए हों) के पुनश्चर्या



मा० ज्ञाहनंदाज, प्रभागं प्रदाधिवाती, सहायक निवंशक सा प्रभागं प्रदाधिवाती, विधि काषांग (उ०णि०)

Sth ? h

(923)

पाठ्यक्रम/शोध कार्यविधि पाठ्यक्रम/कार्यशालाओं/पाठ्यचर्या उन्नयन कार्यशाला/शिक्षण— ज्ञान अर्जन— मूल्यांकन/प्रौद्योगिकी कार्यक्रम/संकाय विकास कार्यक्रम/पाठ्यक्रम पूर्ण किए हों, अथवा संगत विषय में (ई—प्रमाणन सहित) एम ओ ओ सी एक पाठ्यक्रम पूर्ण किया हो, एक पाठ्यक्रम के न्यूनतम 10 मॉड्यूल के 4 चतुर्थाश (कम से कम एक चतुर्थाश) में ई—विषय वस्तु के विकास में योगदान दिया हो/एम ओ ओ सी एक पाठ्यक्रम संचालित करने में योगदान दिया हो।

- (iv) मूल्यांकन अवधि के दौरान समकक्ष व्यक्ति समीक्षित अथवा वि०अ०आ० सूचीबद्ध जर्नलों मे तीन शोध प्रकाशन प्रकाशित हुआ हो।
- 4.2.1 सी०एं०एस० प्रोन्नित मापदण्डः किसी शिक्षक को प्रोन्नित किया जा सकता है यदि,
- (i) मूल्यांकन अवधि के दौरान पिछले पाँच वर्षों में से कम से कम चार वर्षों के दौरान शिक्षक को वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट-में 'संतोषजनक' अथवा 'अच्छे' ग्रेड प्राप्त हुए हों (जैसा कि तालिका 1 में विनिर्दिष्ट है); और
- (ii) प्रोन्नति की स्क्रीनिंग-सह-मूल्यांकन समिति द्वारा अनुशंसा की गई हो।
- 4.3.0 सहायक प्राध्यापक (वरिष्ठ वेतनमान/अकादिमक स्तर 12) से सह प्राध्यापक (अकादिमक स्तर 13 क)
- (i) ऐसे सहायक आचार्य जिन्होने अकादिमक स्तर 12/चयन ग्रेड में तीन वर्ष की सेवा पूर्ण की हो।
- (ii) संगत/संबद्घ विषय में पीएच.डी की उपाधि प्राप्त की हो।
- (iii) पिछले तीन वर्षों के दौरान निम्नलिखित में से कोई एक कार्यक्रम/पाठ्यक्रम पूर्ण किए हों: मूल्यांकन की अविध के दौरान कम से कम दो सप्ताह (10 दिन) की अविध (अथवा कम से कम दो सप्ताह (दस दिनों) की अविध के प्रत्येक एकल पाठ्यक्रम/कार्यक्रम के स्थान पर कम से कम एक सप्ताह (पांच दिन) की अविध के दो पाठ्यक्रम पूर्ण किए हों) के पुनश्चर्या पाठ्यक्रम/कार्यविधि कार्यशाला/पाठ्यचर्या उन्नयन कार्यशाला/शिक्षण— ज्ञान अर्जन—मूल्यांकन/प्रौद्योगिकी कार्यक्रम/संकाय विकास कार्यक्रम श्रेणी के कार्यक्रमों/पाठ्यक्रमों में से कम से कम एक कार्यक्रम/ पाठ्यक्रम पूर्ण किया हो; अथवा संगत विषय में (ई— प्रमाणन) सिहत एमओओसी पाठ्यक्रम पूर्ण किया हो; एक पाठ्यक्रम के कम से कम 10 मॉड्यूल के 4 चतुर्थाश (कम से कम एक चतुर्थाश) में ई—विषय वस्तु के विकास में योगदान दिया हो/एमओओसी पाठ्यक्रम संचालित करने में योगदान दिया हो।

CAS Statutes (Sanlekh 2022-23) Sulf H

मा० शार्नवाज, सहायक निदंशक-मह-प्रभारी पदाधिकारी, विधि कोषांग (उ०शि०)

- (iv) मूल्यांकन अवधि के दौरान समकक्ष व्यक्ति समीक्षित अथवा वि०अ०आ० सूचीबद्ध जर्नलों में कम से कम सात प्रकाशन प्रकाशित हुए हों जिसमें से तीन शोध पत्र मूल्यांकन अवधि के दौरान प्रकाशित हुए हों।
- (v) कम से कम एक पीएच.डी अभ्यर्थी का मार्गदर्शन करने के साक्ष्य हो।
- 4.3.1 सी.ए.एस. प्रोन्नित मानदण्डः किसी शिक्षक को प्रोन्नित किया जा सकता है यदिः
- (i) जैसा कि तालिका—1 में विहित है, मूल्यांकन अविध के पिछले तीन वर्षों में से कम से कम दो वर्षों की वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट में 'संतोषजनक' अथवा 'अच्छे' ग्रेड प्राप्त हुए हों; और तालिका—2 के अनुसार कम से कम 70 शोध अंक प्राप्त किए हों।
- (ii) सह प्राध्यापक के पद पर प्रोन्निति के लिए चयन समिति के माध्यम से सिफारिश की गई हो।
- 4.4.0 सह प्राध्यापक (अकांदिमक स्तर 13 ए) से प्राध्यापक (अकादिमक स्तर 14) योग्यताः
- 1. ऐसे सह प्राध्यापक जिन्होंने अकादिमक स्तर 13 ए में तीन वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो।
- 2. संबंधित/संबद्ध/संगत विषय में पीएच.डी की उपाधि प्राप्त की हो।
- 3. समकक्ष व्यक्ति समीक्षित अथवा वि०अ०आ० सूचीबद्ध जर्नलों में कम से कम दस शोध प्रकाशन किए हों जिनमें से तीन शोध पत्र मूल्यांकन अवधि के दौरान प्रकाशित हुए हों।
- 4. पीएच.डी अभ्यर्थियों का सफलतापूर्वक मार्गदर्शन करने के साक्ष्य हो।
- तालिका 2 के अनुसार कम से कम 110 शोध अंक प्राप्त किए हों।
- 4.4.1 सी0ए0एस0 प्रोन्नित मानदण्डः किसी शिक्षक को प्रोन्नित किया जा सकता है यदि;
- (i) मूल्यांकन अवधि के पिछले तीन वर्षों में से कम से कम दो वर्षों की वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट में तालिका—1 के अनुसार 'संतोषजनक' अथवा 'अच्छे' 'ग्रेड प्राप्त हुए हों तथा वालिका 2 अनुसार कम से कम 110 शोध अंक प्राप्त किए हों;
- (11) अकादिमक स्तर 12 से 13 ए की प्रोन्नित के लिये गठित चयन समिति के द्वारा प्राध्यापक पद पर प्रोन्नित की सिफारिश की गई हो।
- 4.5.0 प्राध्यापक (अकादिमक स्तर 14) से वरिष्ठ प्राध्यापक (अकादिमक अकादिमक नतर—15)

एक प्राध्यापक की वरिष्ठ प्राध्यापक के पद पर सी०ए०एस० के अन्तर्गत प्रोन्नित की जा सकेगी।

CAS Stanutes (Sanletch 2022-23)

मो० शाहनंदोज, सहायक निदेशक-सह-प्रभाग पदाधिकारी, विधि कोषांग (उ०शि०)

Gla h

यह प्रोन्नित शैक्षणिक उपलब्धियों, वरिष्ठ प्राध्यापक अथवा न्युनतम 10 वर्ष के प्राध्यापक पद पर अनुभव रखने वाले तीन प्रख्यात विषय विशेषज्ञों की गई अनुकुल समीक्षा के आधार पर होगी। यह चयन पिछले 10 वर्षों के दौरान 10 सर्वोत्तम प्रकाशनों एवं चयन समिति के अन्तः क्रिया / विचार-विमर्श के आधार पर होगा।

### योग्यताः

- प्राध्यापक के पद पर दस वर्ष का अनुभव। (क)
- समकक्ष व्यक्ति समीक्षित अथवा वि०अ०आ० सूचीबद्ध जर्नलों में कम से कम दस प्रकाशन किए (ख) हों
- मूल्यांकन अविध के दौरान उनके पर्यवेक्षण में दो अभ्यर्थियों को सफलतापूर्वक पीएचडी की (刊) उपाधि प्रदान की गई हो। दो बाह्य विषय विशेषज्ञों सहित पाँच सदस्यगणों द्वारा गणपूर्ति होगी। कुलपति द्वारा विधिवत गठित जॉच समिति, योग्य उम्मीदवारों की सूची तैयार करेगी और इसे

कुलपति को सिंडिकेट के समक्ष अनुमोदन या आवश्यक निर्देशों हेतु प्रस्तुत करेगी जिसमें प्रत्येक उम्मीदवार के बारे में तालिका-1 और 2 के अनुसार सभी आवश्यक जानकारी के साथ सेवा इतिहास और मूल्यांकन रिपोर्ट सहित सभी प्रासंगिक कागजात संलग्न होंगे।



बिहार के विश्वविद्यालयों में कैरियर प्रोन्नित योजना के तहत शिक्षकों के विभिन्न श्रेणियों के प्रोन्नित के लिए विभिन्न समितियों का गठन

नोट-1

4.1.0 सहायक प्राध्यापक (अकादिमक/प्रवेश स्तर (ग्रेंड पे स्तर 10) वेतनमान 10-15) से सहायक प्राध्यापक (विष्ठि वेतनमान/अकादिमक स्तर 11)

# समिति का गठनः

स्क्रीनिंग-सह-मूल्यांकन समिति में अध्यक्ष के रूप में कुलपति, संबंधित संकाय के डीन, आंतरिक विशेषज्ञ के रूप में संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष (प्राध्यापक कोटि के) राज्य सरकार का एक प्रतिनिधि और कुलाधिपति का एक प्रतिनिधि शामिल होगा। यदि विभाग/स्कूल का विभागाध्यक्ष प्राध्यापक स्तर का नहीं है तो अन्य विश्वविद्यालय के विभागाध्यक्ष को बुलाया जायेगा। बैठक के लिए गणपूर्ति 5 में से 3 सदस्यों का होगा।

नोट-2.

4.2.0 सहायक प्राध्यापक (वरिष्ठ वेतनमान/अकादिमक स्तर 11) से सहायक प्राध्यापक (सेलेक्शन ग्रेड/अकादिमक स्तर 12)

### समिति का गठनः

समिति का गठन और कोरम अकादिमक स्तर-10 से 11 के मामले में विहित के अनुसार होगी।

नोट-3

4.3.0 सहायक प्राध्यापक (सेलेक्शन ग्रेड/अकादिमक स्तर 12) से सह प्राध्यापक (अकादिमक स्तर—13 ए)

समिति का गठनः

मो० शाहनंदीज, सहायक निदेशक-सह-प्रभारं पदाधिकारी, विधि कोषांग (उ०शि०)

Sch to

Paris (Santekh 2022-23)



चयन समिति में अध्यक्ष के रूप में कुलपित, अकादिमक परिषद द्वारा अनुमोदित पैनल से तीन विशेषज्ञ (प्राध्यापक के पद से नीचे नहीं) राज्य सरकार से एक प्रतिनिधि और कुलाधिपित से एक प्रतिनिधि, यदि संबंधित विभाग/विद्यालय का प्रमुख प्राध्यापक रैंक का नहीं हैं तो अन्य विश्वविद्यालय के विभागाध्यक्ष जो प्राध्यापक स्तर के हों, को बुलाया जायेगा। विषय विशेषज्ञ के रूप में एक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित होना चाहिए। यदि अनुसूचित जाति /जनजाति के विशेषज्ञों की उपलब्धता नहीं है तो उसे क्रमशः महिला/ निःशक्त/ई०बी०सी०/ओ०बी०सी० द्वारा अधिमान्य किया जायेगा।

#### नोट-4

4.5.0 प्राध्यापक (अकादिमक स्तर 14) से वरिष्ठ प्राध्यापक (अकादिमक स्तर 15) सिमिति का गठन:

- (i) कुलपति यचन समिति के अध्यक्ष होगें।
- (ii) एक शिक्षाविद् जिसके पास न्यूनतम दस वर्ष का अनुभव हो और वह वरिष्ठ प्राध्यापक / प्राध्यापक के रैंक से नीचे नहीं हो, कुलाधिपति का प्रतिनिधि होगा।
- (iii) शिक्षाविद् जिनके पास न्यूनतम दस वर्ष का अनुभव हो और वह वरिष्ठ प्राध्यापक / प्राध्यापक के पद से नीचे के नहीं हो, राज्य सरकार का प्रतिनिधि होगा।
- (iv) संबंधित विश्वविद्यालय के संगत वैधानिक निकाय द्वारा अनुमोदित नामों के पैनल में से संबंधित विषय/क्षेत्र से कुलपित द्वारा मनोनीत तीन विशेषज्ञ जो विरष्ठ प्राध्यापक/प्राध्यापक के रैंक से नीचे के नहीं होंगे और उसके पास न्यूनतम दस वर्षों को अनुभव होगा।
- (v) जहाँ कहीं भी प्रयोज्य हो, संकाय का संकाय अध्यक्ष (वरिष्ठ प्राध्यापक / प्राध्यापक के रैंक से नीचे का नहीं होगा और उसके पास न्यूनतम दस वर्षों का अनुभव होगा।)
- (vi) निभाग/स्कूल का प्रमुख/अध्यक्ष (विरिष्ठ प्राध्यापक/प्राध्यापक के पद से नीचे का नहीं होगा और उसके पास न्यूनतम दस वर्षों को अनुभव होगा) अथवा विरिष्ठतम प्राध्यापक (विरिष्ठ प्राध्यापक/प्राध्यापक के पद से नीचे का नहीं होगा और उसके पास न्यूनतम दस वर्षों को अनुभव होगा)
- (vii) शिक्षाविद् (वरिष्ठ प्राध्यापक/प्राध्यापक के रैंक से नीचे का नहीं होगा और उसके पास न्यूनतम दस वर्षों को अनुभव होगा) जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक/महिला/निःशक्त श्रेणी का प्रतिनिधित्व करता हो, यदि इन

CAS Statusca (Sanlekh 2022-23) Sh

मो० शाहनंदीज, सहायक निदेशवः सह-प्रभागे पदाधिकारी, विधि काषांग (उ०शि०) श्रेणियों से संबंध रखने वाला कोई अभ्यर्थी आवेदक हो तो, और यदि चयन समिति में कोई भी सदस्य इन श्रेणियों से संबंधित नहीं हो तो, उसे कुलपित द्वारा नाम निर्देशित किया जाएगा।

#### नोट-5

कैरियर एडमांस प्रोन्नित योजना—2018 (सी०ए०एस०) के अधीन प्रोन्नित के लिए परिनियम का प्रर्वतन।

- 5.(क) यह नई प्रोन्नित योजना 18 जुलाई 2018 से प्रभावी होगी। हालांकि पुरानी प्रोन्नित योजानाएँ अधिसूचना की तिथि से समाप्त हो जाएंगी।
- 5.(ख) पुरानी प्रोन्नित योजना के अधीन प्रोन्नित किये गये उम्मीदवार प्रभावित नहीं होंगें। जिन उम्मीदवारों को नई प्रोन्नित योजना (सी.ए.एस.) के लागू होने की तिथि अर्थात 18 जूलाई 2018 और नई योजना की अधिसूचना की तिथि के बीच प्रोन्नित नहीं किया गया है, उनके पास दो विकल्प होंगे, या तो नई प्रोन्नित योजना का चयन करे या अधिसूचना की तिथि तक पुरानी प्रोन्नित योजना का अनुसरण करें।

Sth h

मो० शाहनंदाज, सहायक निदेशक-सह-प्रभाग पदाधिकारी, विधि कोषांग (उ०१६०)

Q 2.2.23

2. or of



# तालिका 1 विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के शिक्षकों हेतु आकलन मानदंड और पद्धति

क्र0	क्रियाकलाप	ग्रेडिंग मानदंड
1	शिक्षण कार्य (पढ़ाई गई कक्षाओं की संख्या/सौंपी	80 प्रतिशत और अधिक — अच्छा
	गई कुल कक्षाएँ) : 100 प्रतिशत	80 प्रतिशत से कम लेकिन 70 प्रतिशत
	(पढ़ाई गई कक्षाओं में वर्ग कक्ष अध्यापन, प्रयोगशाला	
	और शिक्षण संबंधी अन्य क्रियाकलाप शामिल है)	70 प्रतिशत से कम— संतोषजनक नहीं
2	विश्वविद्यलयों / महाविद्यालयों के छात्र संबंधी	अच्छा– कम से कम 3 क्रियाकलापों में
h:	क्रियाकलाप / शोध क्रियाकलापों में भागीदारी:	भागीदारी
	(क) प्रशासनिक दायित्व जैसे कि विभागाध्यक्ष / अध्यक्ष	संतोषजनक—1 से 2 क्रियाकलाप
	/ संकायाध्यक्ष / निदेशक / समन्वयक / वार्डेन आदि।	असंतोषजनक किसी भी क्रियाकलाप में
E1 5:	(ख) महाविद्यालय / विश्वविद्यालय द्वारा सौंपी गई	भाग नहीं लेना / कोई भी क्रियाकलाप
	परीक्षा और मूल्यांकन ड्यूटी अथवा परीक्षा पत्र	नहीं करना ।
	मूल्यांकन हेतु उपस्थित होना।	नोट:-
	(ग) छात्रों से संबंधित पाठक्रम, विस्तार और क्षेत्र	क्रियाकलाप की संख्या क्रियाकलाप की
	आधारित क्रियाकलापों यथा विद्यार्थी क्लब, कैरियर	वृहत श्रेणी के अंतर्गत या सभी श्रेणियो
	परामर्श, छात्र संगोष्ठि, अध्ययन दौरा और अन्य	को मिलाकर हो सकती है।
	क्रियाकलाप, सांस्कृतिक, खेलकूद, एन०सी०सी०,	
	एन०एस०एस० और सामुदायिक सेवा।	
	(घ) संगोष्टियों / सम्मेलन / कार्यशालाएँ, अन्य	
	महाविद्यालय / विश्वविद्यालय संबंधी क्रियाकलापों का	
	आयोजन	
	(ड़) पी०एच०डी० छात्रों को मार्गदर्शन प्रदान करने	
	में सक्रिय भागीदारी के साक्ष्य।	1
	(च) राष्ट्रीय और अंतराष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा	
	प्रायोजित लघु और वृहद अनुसंघान परियोजनाओं का	12
	संचालन	1
	(छ) समकक्ष व्यक्ति समीक्षित अथवा विश्वविद्यालय	
	अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित सूची के जर्नल में कम	
·	से कम एक एकल या संयुक्त प्रकाशन।	
समग्र	ग्रेडिंग :	

मो० शाहनंद्वाज, सहायक निदेशक-सह-प्रभारी पदाधिकारी, विधि कोषांग (उ०शि०)

Boyletta V3

अच्छा — शिक्षण में अच्छा है और क्रम संख्या—2 पर उल्लिखित क्रियाकलापों में संतोषजनक या अच्छा है।

अथवा

संतोषजनक – शिक्षण में संतोषजनक और क्रम संख्या 2 पर उल्लिखित क्रियाकलापों में अच्छा या संतोषजनक।

संतोषजनक नहीं है – यदि समग्र ग्रेडिंग में न तो अच्छा हो और न ही संतोषजनक हो ।

नोट : — क्रम सख्या 1 और 2 में दिये गए क्रियाकलापों की ग्रेडिंग के आकलन के प्रयोजन हेतु ऐसी सभी अविधयाँ जो शिक्षकों द्वारा मातृत्व अवकाश, बाल परिचर्या अवकाश, अध्ययन छुट्टी, चिकित्सा छुट्टी, असाधारण अवकाश जैसी विभिन्न प्रकार की वैतिनक छुट्टियों पर व्यतीत की गई है और ग्रेडिंग आकलन में से प्रतिनियुक्ति को शामिल नहीं किया जाएगा। शिक्षक का शेष अविध के लिए आकलन किया जाएगा और शिक्षक की ग्रेडिंग करने के लिए आकलन की सम्पूर्ण अविध में से इन अविधयों को हटा दिया जाएगा। उपरोक्त वर्णित ऐसी छुट्टियों / प्रतिनियुक्ति के कारण शिक्षक को सी०ए०एस० के अंतर्गत प्रोनित में शिक्षण दायित्वों से उनकी अनुपस्थिति के कारण कोई नुकसान नहीं होगा वशर्त ऐसी छुट्टियाँ / प्रतिनियुक्ति इन विनियमों में निर्धारित सभी प्रक्रियाओं का अनपुालन करके सक्षम प्राधिकारियों के पूर्व— अनुमोदन से और मूल संस्थान के अधिनियमों, परिनियमों और अध्यादेशों के अनुसार ली गई हों।

मो० शाह नंशाज, प्रमार्ग पदाधिकारी, सहायक निदशक स्थाप (३०११०)

0912-3

C AS Statutes (Sanickh 2013-23)



#### तालिका- 2

# शैक्षणिक / शोध अंक की गणना हेतु विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के शिक्षकों के लिए कार्य प्रणाली

(आकलन शिक्षकों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों पर आधारित होना चाहिए, जैसे प्रकाशकों की प्रति परियोजना स्वीकृति पर विश्वविद्यालय द्वारा जारी उपयोग तथा पूर्णतः प्रमाण पत्र, पेटेंट दर्ज कराने संबंधी अभिस्वीकृति और स्वीकृति पत्र, विद्यार्थियों को पी०एच०डी० उपाधि प्रदान किए जाने संबंधी पत्र इत्यादि)

क्र	शैक्षणिक / शोध	विज्ञान/अभियांत्रिकी/कृषि	भाषा / मानविकी / कला /
0	क्रियाकलाप	/	सामाजिक विज्ञान/
सं		चिकित्सा / पशु – चिकित्सा	पुस्तकालय/शिक्षा/शरीरिक
o		विज्ञान/संकाय	शिक्षा / वाणिज्य / प्रबंधन
		**	तथा अन्य संबंधित विधाएं
	समकक्ष व्यक्ति समिक्षित	तिलका 3 के अनुसार प्रति	तलिका 3 के अनुसार प्रति
1,	अथवा विश्वविद्यालय	पत्र	पत्र
	अनुदान आयोग द्वारा		
	सूचीबद्ध पत्रों में शोध पत्र		
2.	प्रकाशन (शोध पत्रों के		
	अतिरिक्त)		2
	(क) लिखी गई पुस्तकें,		
	जिन्हें निम्नवत के द्वारा		•
	प्रकाशित किया गया	λ	
	अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशक	12	12
	राष्ट्रीय प्रकाशक,	10	10
	संपादित पुस्तक में अध्याय	05	05
	अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशक द्वारा	10	10
	पुस्तक का संपादक		
	राष्ट्रीय प्रकाशक द्वारा	08	08
1	पुस्तक का संपादक		
	(ख) योग्य संकाय द्वारा		
	भारतीय और विदेशी		
10	भाषाओं में अनुवाद कार्य		
	अध्याय अथवा शोध पत्र	03	03
		08	08
	पुस्तक		
	आई०सी०टी० के माध्यम से		
3.	ज्ञान-अर्जन शिक्षण शास्त्र		
	भेग विषयवस्त का सुजन	0	
	तथा नए और नवोन्मेषी	N /	

CAS Scatulica (Sanleth 2022-73)

मो० शाहनंद्याज, मापक निदेशक-मह-प्रभागे पदाविकारी, विधि काषांग (३०शि०) Bar 1. X2023

		15	
	पाठ्यक्रमों और पाठ्यचर्या	***************************************	
	का विकास		
	(क) नवोनमेषी अध्याय का	05	05
	विकास		
	(ख) नई पाठ्यचर्या और		
	पाठ्यक्रमों को तैयार करना	02 प्रति पाठ्यचर्या / पाठ्यक्रम	02 प्रति पाठ्यचयी / पाठ्यक्रग
	(ग) एम०ओ०ओ०सी०		
	चार चतुर्थाश में पूर्ण	20	20
	एमओओसी का विकास (4	20	20
	क्रेडिट पाठ्यक्रमों) (कम		
	क्रेडिंट के एमओओसी के		=
		1	
	मामले में 05 अंक / क्रेडिंट)	-A	
	प्रति ्मॉडयूल/व्याख्यान	05	-05
	एमओओसी (चार चतुर्थाश		
	में विकसित)		
	विषयवस्तु लेखक/	02	02
	एमओओसी के प्रत्येक		
	मॉडयूल हेतु विषयवस्तु		
	विशेषज्ञ (कम से कम एक	`	
-	चतुर्थाश)		
	एमओओसी हेत पाठ्यक्रम	08	08
	समन्वयक (4 क्रेडिट	n	
	पातयकमी)(कम क्रेडिट के	•	
	एमओओसी के मामले में 02		
J	शंक / केंडिट)		
	(घ) ई-विषयवस्तु पूर्ण पाठयक्रम/ई पुस्तक		
-	गर्ण पातराकम /ई पस्तक	12	12
	1 2 3 7 7 7 7 7 7 7 1		
	ई-विषयवस्तु का विकास		<u> </u>
-	प्रति मॉडयूल ई-विषयवस्तु	05	05
	(चार चतुर्थाश में विकसित)		
		02	02
	समग्र		
	पाठ्यक्रम/पत्र/ई-पुस्तक		
	में ई-विषयवस्तु मॉडयूल के		
	विकास में योगदान (कम से		
	कम एक चतुर्थाश)	10	10
	संपूर्ण	1.0	
	पाठ्यक्रम/पत्र/ई-पुस्तक		
	हेतु ई-विषयवस्तु का		
	संपादक		v j
4.	(क) शोध मार्गदर्शन		

CAS Stantages (Sanlekh 2022-23)

मी० शाहनंद्याज, भारतक निदंशक-मह-प्रधारी पदाधिकारी, विधि कोपांग (उ०िश०)

Sthin

(V) 2.23

1	-	-	i.
9	11	1	1
1	1	1	ř
1	iliæ	£	

	पी०एच०डी०	10 प्रति प्रदान की गई उपाधि	10 प्रति प्रदान की गई उपाधि
		05 प्रति जमा किए गए शोध	
	1	प्रबंध	05 प्रति जमा किए गए शोध प्रबंध ।
	एम॰फिल / स्नातकोत्तर		) अवध । 02 प्रति प्रदान की गई उपाधि
	शोध प्रबंध	02 आरा अपान पर्रा गई उपाव	02 प्राप्त प्रदान का गई उपाधि
	(ख) पूरी की गई शोध		<u> </u>
	परियोजनाएं		
	10 लाख से अधिक	10	10
	10 लाख से कम	05	05
	(ग) जारी शोध परियोजनाएं		00
	10 लाख से अधिक	05	05
	10 लाख से कम		
		02	02
	(घ) परामर्शत्री सेवाएं	03	03
5.	(क) पेटेंट		10
	अंतर्राष्ट्रीय	- 10	10
	राष्ट्रीय	07	07
	(ख) *नीतिगत दस्तावेज		
	(से॰रा॰सं॰ / यूनेस्को / विश		
1	व बैंक/अंतराष्ट्रीय मुद्रा	1	
	कोष इत्यादि अथवा केंद्र	ł	
	सरकार या राज्य सरकार	2	
	जैसे किसी अंतराष्ट्रीय	· ·	
	निकाय/संगठन को सौंपे		
	गए)		
-	अंतराष्ट्रीय	10	10
-	राष्ट्रीय	07	07
	राज्य	04	04
	(ग) पुरस्कार / अध्येतावृत्ति		
		07	07
	अंतराष्ट्रीय	05	05
	राष्ट्रीय		
6.	*अतिथि व्याख्यान/		
	संसाधक / संगोष्ठियों /		
	सम्मलेनों में पत्र		
	क्यानींकरण / सम्मलेन		
	कार्यवाहियों में पूर्ण पत्र		
	वस्तत करना		
	(जांगोस्तियों) / सम्मेलना भ		
	व्यवत किए गए पत्र और		6
	कारोगाहरा म पूर्ण	1	
	पत्र के रूप में प्रकाशित		

CAS Statutes (Senickh 2022-23) Sch Lu

मो० शाहनंदाज, प्रभारी पदाधिकारी, सहायक निदेशः विधि कालाः (३०शि०)

Colonner 3

1	1.
101	1
(1)	W
-	1

पत्रों की गणना सिर्फ एक		
बार की जाएगी)		
अंतराष्ट्रीय (विदेश)	07	0.7
अंतराष्ट्रीय (देश के भीतर) राष्ट्रीय	05	05
राज्य / विश्वविद्यालय	03	03
ाजव्य । परपावद्यालय	02	02

Bailon row

मो० शाहनवाज । सहायक निवंशक सह प्रभागे प्रवाधिकारी। विधि कार्यांग (३०१००)

SAL

# तालिका- 3

# पत्रों के लिए शोध प्राप्तांक निम्नवत निर्धारित किया जायेगाः

सहकर्मी द्वारा समीक्षित अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सूचीबद्ध जर्नल (थॉमसन रॉयटर्स की सूची के अनुसार निर्धारित किए जाने वाले प्रभाव कारक)

- i. प्रभाव कारक रहित संदर्भित जर्नल में प्रकाशित पत्र :- 5 अंक
- ii. 1 से कम प्रभाव कारक वाले पत्र
- iii. 1 और 2 के बीच प्रभाव कारक वाले पत्र
- iv. 2 और 5 के बीच प्रभाव कारक वाले पत्र :- 20 अंक
- V. 5 और 10 के बीच प्रभाव कारक वाले पत्र :- 25 अंक
- vi. 10 से अधिक प्रभाव कारक वाले पत्र :- 30 अंक
- (क) दो लेखक प्रत्येक लेखक हेतु प्रकाशन के कुल मान का 70 प्रतिशत
- (ख) दो से अधिक लेखकः प्रथम/संवादी लेखक हेतु प्रकाशन के कुल मान का 70 प्रतिशत और प्रत्येक संयुक्त लेखकों हेतु प्रकाशन के कुल मान का 30 प्रतिशत

संयुक्त परियोजनाएं :- मूल शोधकर्ता और सह-शोधकर्ता में से प्रत्येक को 50 प्रतिशत प्राप्त होगा

### नोट -6

• यदि शोध पत्र संपादित पुस्तक का अंश अथवा कार्यवाही है तो वैसी स्थिति एक बार ही दावा किया जा सकेगा।

विद्यार्थियों के संयुक्त पर्यवेक्षण के लिए पर्यवेक्षक और सह पर्यवेक्षक हेतु सूत्र, कुल प्राप्तांक का 70 प्रतिशत होगा। पर्यवेक्षक और सह—पर्यवेक्षक दोनों में से प्रत्येक को 7 अंक मिलेंगे।

शिक्षक के शोध अंकों की गणना करने के प्रयोजनार्थ : 5 (ख) कोटि, नीतिगत दस्तावेज और
 6 की श्रेणियों से संयुक्त शोध अंक, आमंत्रित व्याख्यान/साधन सेवी/पत्र प्रस्तुतीकरण के
 लिए संबंधित शिक्षक को कुल शोध अंकों के लिए अधिकतम 30 प्रतिशत की उपरी सीमा

होगी।

Self To

मो० शाहनंदाज, प्राहनंदाज, प्राहनंदाज, प्राहनंदाज, प्राहनंदाज, प्राहनंदाज, प्राहनंदाज, प्राहनंदाज, प्राहनंदाज, प्राहनंदाज, प्राहनंदाज,



#### तालिका- 3



### पत्रों के लिए शोध प्राप्तांक निम्नवत निर्धारित किया जायेगाः

सहकर्मी द्वारा समीक्षित अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सूचीबद्ध जर्नल (थॉमसन रॉयटर्स की सूची के अनुसार निर्धारित किए जाने वाले प्रभाव कारक)

i. प्रभाव कारक रहित संदर्भित जर्नल में प्रकाशित पत्र :- **5 अंक** 

ii. 1 से कम प्रभाव कारक वाले पत्र :- 10 अंक

iii. 1 और 2 के बीच प्रभाव कारक वाले पत्र :- 15 अंक

iv. 2 और 5 के बीच प्रभाव कारक वाले पत्र :- 20 अंक

v. 5 और 10 के बीच प्रभाव कारक वाले पत्र :- 25 अंक

vi. 10 से अधिक प्रभाव कारक वाले पत्र :- 30 अंक

(क) दो लेखक प्रत्येक लेखक हेतु प्रकाशन के कुल मान का 70 प्रतिशत

(ख) दो से अधिक लेखकः प्रथम/संवादी लेखक हेतु प्रकाशन के कुल मान का 70 प्रतिशत और प्रत्येक संयुक्त लेखकों हेतु प्रकाशन के कुल मान का 30 प्रतिशत

संयुक्त परियोजनाएं :- मूल शोधकर्ता और सह-शोधकर्ता में से प्रत्येक को 50 प्रतिशत प्राप्त होगा

### नोट -6

यदि शोध पत्र संपादित पुस्तक का अंश अथवा कार्यवाही है तो वैसी स्थिति एक बार ही दावा
 किया जा सकेगा।

विद्यार्थियों के संयुक्त पर्यवेक्षण के लिए पर्यवेक्षक और सह पर्यवेक्षक हेतु सूत्र, कुल प्राप्तांक का 70 प्रतिशत होगा। पर्यवेक्षक और सह—पर्यवेक्षक दोनों में से प्रत्येक को 7 अंक मिलेंगे।

शिक्षक के शोध अंकों की गणना करने के प्रयोजनार्थ : 5 (ख) कोटि, नीतिगत दस्तावेज और
 6 की श्रेणियों से संयुक्त शोध अंक, आमंत्रित व्याख्यान/साधन सेवी/पत्र प्रस्तुतीकरण के लिए संबंधित शिक्षक को कुल शोध अंकों के लिए अधिकतम 30 प्रतिशत की उपरी सीमा होगी।

CAS Striutes (Sankish 2023-23)

मो० शाहनंवाज, मो० शाहनंवाज, मह-प्रभारी पद्माध्यम्मी, विधि काषांग (३०शि०)

Eur



शोध प्राप्तांक 6 श्रेणियों में से कम से कम 03 श्रेणियों से होंगे।

Ell h

पां शाहनंदाज । प्राहनंदाज । प्रतायक निरंशक कार्याम (३०१००)

Baralox M



### STATUTES FOR PROMOTION OF DIFFERENT CATEGORIES OF TEACHERS UNDER CAREER ADVANCEMENT SCHEME OF THE UNIVERSITIES AND CONSTITUENT COLLEGES OF BIHAR W.E.F. 18/07/2018

- 1.0 Notwithstanding anything to the contrary of the content in the previous statutes for the promotion of different categories of teachers in the universities of Bihar, the present statutes hereby provide provisions for the promotion of the teachers of Universities and constituent colleges of Bihar. The promotion scheme shall be enforced as mentioned in note-5.
- 2.0 The proposed scheme of promotion of University/College teachers shall be known as Career Advancement Scheme, 2018 for the promotion of teachers of the Universities and constituent Colleges of Bihar.

#### 3.0 Definitions-

In this Statutes, unless otherwise requires in the subject of context,

- (i) Universities stand for the Universities managed and maintained by the Government of Bihar. It includes as below:-
  - (a) Patna University, Patna.
  - (b) BRA Bihar University, Muzaffarpur.
  - (c) Magadh University, Bodh Gaya.
  - (d) Tilka Manjhi Bhagalpur University, Bhagalpur.
  - (e) Lalit Narayan Mithila University, Darbhanga.
  - (f) Kameshwar Singh Darbhanga Sanskrit University, Darbhanga.
  - (g) Veer Kunwar Singh University, Ara.

(h) Jai Prakash University, Chapra.

प्रो० शाहनंदाज, प्रहायक निदेशक-सह-प्रभारी पदाधिकारी, Ban of when

Q. 120 But to 9/1/23



- Bhupendra Narayan Mandal University, Madhepura. (i)
- (i) Munger University, Munger.
- (k) Purnea Universtiy, Purnia.
- **(l)** Patliputra University, Patna.
- Maulana Mazhrul Haque Arabic & Persian University, Patna. (m)
- Nalanda Open University, Patna. (n)
- Aryabhatta Knowledge University, Patna. **(0)**
- The term college includes all Constituent Colleges. (ii)
- Academic/Entry level- This level is the level of Assistant Professor who (iii) will be recruited under the provision of the relevant Statutes. They shall be entitled initially to Grade Pay level 10 under the recommendation of the 7<sup>th</sup> pay Commission.
- 'Senior Scale / Academic level 11' stands for Academic level 11 under (iv) the 7<sup>th</sup> Pay Scale.
- 'Selection Grade / Academic level 12' Assistant Professors having (v) achieved Academic level 11 shall be promoted to Academic level 12 which shall be defined as 'Assistant Professor- Selection Grade' as per provisions defined hereunder.
- 'Academic Level 13A' stands for the post of Associate Professor, (vi) Assistant Professor having Academic Level 12 shall only be eligible for promotion to Academic Level 13A.
- 'Academic Level 14' stands for the post of Professor. Associate Professor having Academic level 13A shall be eligible for promotion to the Academic level 14.
- (viii) 'Academic level 15' stands for the post of Senior Professor. Professor at the Academic level 14 shall be eligible for promotion to Academic level

मो० शाहनवाज, सहायक निदेशक-सह-प्रभारी पदाधिकारी,

विधि कोषांग ( टर्काण)

NST SU



- 'Academic levels' are based on the UGC Regulations, 2018.
- The proposed Career Advancement Scheme shall be effective under 4.0 the given frame of promotion:
- Assistant Professor [Academic/Entry Level (Grade Pay Level 10) in 4.1.0. the scale (10-15)] to Assistant Professor (Senior Scale/Academic Level 11)

#### Eligibility:\_\_

- An Assistant Professors who have completed four years of service with Ph.D. degree or five years of service and having M.Phil/P.G. Degree in Professional Courses such as LL.M., M.Tech., M.V.Sc., M.D. or six years of service for those without Ph.D./M.Phil./P.G. Degree in Professional courses and satisfies the following conditions:
- Attended one Orientation Course of 21 days duration on Teaching (ii) Methodology:
- Any one of the following: Completed a Refresher/Research Methodology (iii) Course/Workshop/Syllabus Up- gradation Workshop / Training Teaching-Learning-Evaluation, Technology Programmes / Faculty Development Programmes of at least one week (5 days) duration, or Taken one MOOCs Course (with e-certification) or development of e-contents in fourquadrants MOOC's Course during the assessment period; and
- Publication one research publication in the peer-reviewed journals or (iv) UGC-listed journals during assessment period.
- CAS Promotion Criteria: A Teacher shall be promoted if; 4.1.1
- He / She gets 'satisfactory' or 'good' grade in the annual performance (i) assessment reports of at-least three of the last four years of the assessment period as the case may be, or four of the last five years or five of the Six years as prescribed in Table-1

मो० शाहनवाज, सहायक निदेशक-सह-प्रभारी पदाधिकारी. विधि कोषांग (उ०शि०)



- (ii) The promotion is recommended by the Screening-cum-Evaluation Committee.
- (iii) 4.2.0 Assistant Professor (Senior Scale/Academic Level 11) to Assistant Professor (Selection Grade/Academic Level 12)

#### Eligibility:

- (i) Assistant Professors who have completed five years of service in Academic level 11/Senior Scale.
- (ii) A Ph.D. Degree in the concerned subject/allied/relevant disciplines.
- Has done any two of the following in the last five years of Academic Level-11/ Senior Scale: Completed Course /Programme from among the categories of Refresher Courses/Research Methodology course workshops /Syllabus Up-gradation Workshop/ Teaching- Learning-Evaluation/TechnologyProgrammes/ Faculty

  Development Programmes of at-least two week (ten days) duration (or completed two courses of at-least one week (five days) duration in lieu of every single course/programme of at least two weeks (ten days) duration), or, completed one MOOCs course in the relevant subject (with e-certification); or contribution towards development of e-content in 4-quadrant (at least one quadrant) minimum of 10 modules of a course/contribution towards development of at least 10 modules of MOOCs course/contribution towards conducting of a MOOCs course during the period of assessment.
- (iv) Publication three research papers in the peer-reviewed journals or UGC-listed during assessment period.
- 4.2.1 CAS Promotion Criteria: A teacher shall be promoted if;
- The teacher gets 'satisfactory' or 'good' grade in the annual performance assessment reports of at least four of the last five years of the assessment period as prescribed in Table 1 and;
- (ii) The promotion is recommended by the Screening-cum-Evaluation Committee.

n

मो० शाहनवाज, सहायकं निदेशक-सह-प्रभाग पदाधिकारी, विधि कोषांग (उ०शि०) Bond 1212 12



- 4.3.0. Assistant Professor (Selection Grade/Academic Level 12) to associate Professor (Academic Level 13A)
- Assistant Professor who have completed three years of service in 1) Academic level 12/Selection grade.
- A Ph.D. Degree in the concerned subject/allied/relevant disciplines. 2)
- Any one of the following during last three years: completed one 3) course/ programme from among the categories of Refresher Courses/Research Methodology Workshops/ Syllabus Up-Gradation Workshop/ Teaching-Learning-Evaluation Technology Programmes/ Faculty Development programmes of at least two weeks (ten days) duration (or completed two courses of at least one week (five days) duration in lieu of every single course / programme of at least two weeks (ten days) duration); or completed one MOOCs course (with ecertification); or contribution towards development of e-content in 4quadrant(at least one quadrant) minimum of 10 modules of a course/contribution towards development of at least 10 modules of MOOCs course/contribution towards conduct of a MOOCs course during the period of assessment.
- A minimum of seven publication in the peer-reviewed or UGC-listed 4) journals out of which three research papers should have been published during the assessment period.
- Evidence of having guided at least one Ph.D. candidate. 5)
- 4.3.1 CAS Promotion Criteria: A Teacher shall be promoted if:
- He / She get 'satisfactory' or 'good' grade in the annual performance i) assessment reports of at least two of the last three years of the assessment period as specified in Table 1, and has a research score at least 70 as per Table 2.
- The promotion to the post of Associate Professor is recommended ii) through selection committee.
- Associate Professor (Academic Level 13A) to Professor (Academic 4.4.0 Level 14)

मो० शाहनवाज सहायक निदेशक-सह-प्रभारी पदाधिकारी, विधि कोषांग ( ढ०शि०)

Eligibility:

- An Associate Professors who have completed three years of service in Academic level 13A.
- 2) Ph.D. Degree in concerned subject/allied/relevant discipline
- A minimum of ten research publications in the peer-reviewed/'UGC-listed Journal out of which three research papers should have been published during the assessment period.
- 4) Evidence of having successfully guided doctoral candidate.
- A minimum of 110 Research Score as per Table 2.
- 4.4.1 CAS Promotion Criteria: A Teacher shall be promoted if:
- He / She get 'satisfactory' or 'good' grade in the annual performance assessment reports of at least two of the last three years of the assessment period, as per Table 1 and at least 110 research score, as per Table 2.
- The promotion to the post of Professor is recommended through Selection Committee as constituted in the promotion of Academic level 12 to 13A.
- 4.5.0. Professor (Academic Level 14) to Senior Professor (Academic Level 15)

Senior Professor shall also be through promotion under CAS. Promotion shall be based on academic achievement, favorable review from three eminent subject experts who are not of the rank lower than the rank of a senior Professors or has been a Professor at least ten years of experience. The selection shall be based on 10 best publications during last 10 years and interaction with a selection committee.

# Eligibility:

(a) Ten years' experience as a Professor.

le h

मो० शाहनवाज, सहायक निदेशक-सह-प्रभारी पदाधिकारी, बिधि कोषांग (उ०शि०) B 20101223

- (b) A minimum of Ten publications in the peer reviewed/'UGC- listed Journals.
- (c) A minimum of Two candidates have been awarded Ph.D degree under his/her supervision during the assessment period.

At least Five members, including two outside subject experts, shall constitute the quorum.

The Scrutiny Committee duly constituted by the Vice-Chancellor, will prepare the list of eligible candidates and submit it to the Vice-Chancellor comprising all the required information about each candidates along with all relevant papers including service records and appraisal reports as prepared on the basis of Tables I & II before syndicate for approval or necessary directions.

Constitution of various Committees for promotion of different Categories of Teachers under Career Advancement Scheme in the Universities of Bihar:

Note-1. 4.1.0. Assistant Professor [Academic/Entry Level (Grade Pay Level 10) in the scale (10-15)] to Assistant Professor (Senior Scale/Academic Level 11)

Constitution of the Committee-

The screening cum evaluation committee consist of The Vice Chancellor as Chairman, The Dean of the faculty concerned, The Head of the Department concerned (Professor Rank) as an internal expert, one representative of state government and one representative of Chancellor. In case the Head of the Department/School is not of Professor rank then the Head of the Department of other university will be called. The quorum for the meeting shall be 3 out of 5 members. (Page-02)

Assistant Professor (Senior Scale/Academic Level 11) to
Assistant Professor (Selection Grade/Academic Level 12)

मो० शाहर्नवाज, सहायक निदेशक-सह-प्रभारी पदाधिकारी, विभि कोषांग (रु०शि०)

ति विभिन्न विभिन्न Band Nova

OSin Land

(901)

Constitution of the Committee-

The constitution of the committee and quorum shall be as defined in the case of Academic level 10 to 11. (Page-03)

# Note-3. 4.3.0. Assistant Professor (Selection Grade/Academic Level 12) to Associate Professor (Academic Level 13A)

Constitution of the Committee-

The selection committee shall consist of Vice Chancellor as Chairman, three below the rank (not experts Professor) from a panel approved by of Academic Council, one representative from state government and one from Chancellor, Head of the Department concerned/school (in case the Head is not in Professor rank then the Head of any other university of Professor Rank shall be called. One of the subject expert should belong to SC/ST. In case, there is no availability of SC/ST experts, that will be replaced by woman / differently abled / EBC / OBC in preferential order. (Page-03-04)

# Note-4. 4.5.0. Professor (Academic Level 14) to Senior Professor (Academic Level 15)

#### Constitution of the Committee-

- (I) Vice-Chancellor as the Chairperson of the selection committee.
- (II) An Academician not below the rank of senior Professor / Professor with minimum ten years' experience who is the nominee of the Chancellor.
- (III) An Academician not below the rank of Senior Professor/Professor with minimum ten years' experience who is the nominee of the State Government.

beh h

मो० झाहनदाज, सहायक निष्टेशक-सह प्रभारी पदाधिकारी, विधि कोषांग (उ०शि०) Bana C

Of this



- (IV) Three experts not below the rank of Senior Professor/ Professor with minimum ten years' experience in the concerned subject/field nominated by the Vice Chancellor out of the panel of names approved by the relevant statutory body of the university concerned.
- (V) Dean (not below the rank of Senior Professor/Professor with minimum ten years' experience) of the faculty, wherever applicable.
- (VI) Head/Chairperson (not below the rank of Senior Professor/Professor with minimum ten years experience) or Senior most Professor (not below the rank of Senior Professor/Professor with minimum ten years experience) of the Department/School.
- (VII) An academician (not below the rank of Senior Professor/Professor with minimum ten years experience) representing SC/ST/OBC/Minority/ Women / Differently abled categories, if any of candidates representing these categories is the applicant, to be nominated by the Vice Chancellor, if any of the above members of the selection committee do not belong to these category. (Page-04)
- Note- 5. <u>Enforcement of Statutes for promotion under Career Advance Scheme -2018</u>.
- 5.a. The new promotion Scheme will be effective from 18<sup>th</sup> July 2018. However the Old promotion Schemes will fully cease with effect from the date of Notification.
- 5.b. The Candidate who has been promoted under the old promotion schemes shall not be affected.

The Candidates, who have not been promoted between the date of enforcement of the new promotion Scheme (CAS) i.e. 18<sup>th</sup> July 2018, and date of Notification of the new Scheme, will have two options, either to opt for new Promotion Scheme or follow the old Promotion Schemes till the date of Notification.

मो० झार नहीं ज, सहस्यक निदेशक कि प्रभारी पदाधिकारी, विधि कोषांग (उ०शि०) Boundary or

Dr23



Table 1 Assessment Criteria and Methodology for University Teachers

S.No	Activity	Grading Criteria
1.	Teaching: (Number of classes taught/total classes assigned): 100% Classes taught includes sessions on tutorials, lab and other teaching related activities)	80% & above — Good Below 80% but 70% & above— Satisfactory Less than 70% —Not satisfactory
2.	Involvement in the University/College students related activities/research activities:  a. Administrative responsibilities such as Head, Chairperson/ Dean/ Director/ Co-ordinator, Warden etc.  b. Examination and evaluation duties assigned by the college / university or attending the examination paper evaluation.  c. Student related co-curricular, extension and field based activities such as student clubs, career counseling, study visits, student seminars and other events, cultural, sports, NCC, NSS and community services.  d. Organizing seminars/conferences/workshops, other college/university activities.  e. Evidence of actively involved in guiding Ph.D students.  f. Conducting minor or major research project sponsored by national or international agencies.  g. At least one single or joint publication in peer reviewed/UGC list of Journals.	Good— Involved in at least 3 activities Satisfactory—1-2 activities Not-satisfactory- Not involved / undertaken any of the activities Note: Number of activities can be within or across the broad categories of activities

Sl.No.2. Or

मो० शाहनवाज, सहायक निदंशक-सह-प्रभाग पदाधिकारी, विधि कोषांग (उ०शि०)





Satisfactory: Satisfactory in teaching and good or satisfactory in activity at SI.No.2.

Not Satisfactory: If neither good nor satisfactory in overall grading

Note: For the purpose of assessing the grading of Activity at Serial No. 1 and serial no.2, all such periods of duration which have been spent by the teacher on different kinds of paid leaves such as Maternity Leave, Child Care Leave, Study Leave, Medical Leave Extraordinary Leave and Deputation shall be excluded from the grading assessment. The teacher shall be assessed for the remaining period of duration and the same shall be extrapolated for the entire period of assessment to arrive at the grading of the teacher. The teacher on such leaves or deputation as mentioned above shall not be put to any disadvantage for promotion under CAS due to his/her absence from his/her teaching responsibilities subject to the condition that such leaves/deputation was undertaken with the prior approval of the competent authority following all procedures laid down in these regulations and as per the acts, statutes and ordinances of the parent institution.

भी० शाहनंदाज,
भो० शाहनंदाज,
कायक निदंशक-मह-प्रधार्ग पदाधिकारी,
विधि कोषांग (उ०शि०)

Bound 200



#### Table 2

#### Methodology for University Teachers for calculating Academic/Research Score

(Assessment must be based on evidence produced by the teacher such as: copy of publications, project sanction letter, utilization and completion certificates issued by the University and acknowledgements for patent filing and approval letters, students' Ph.D. award letter, etc,.)

S. N	Academic/Research Activity	Faculty of Sciences/Enginee ring/Agriculture/ Medical/Veterina ry	Faculty of languages / Humanities / Arts / Social Sciences / Library / Education / Physical Education / Commerce / Management & other related disciplines
1	Research Papers in Peer- Reviewed or UGC listed Journals	Per paper as per Table-3	Per paper as per Table-3
2	Publications (other than Research Paners)	•	•
	(a) Books authored which are published by;		
	International publishers	12	12
	National publishers	10	10
	Chapter in Edited Book	05	05
	Editor of Book by International Publisher	10	10
	Editor of Book by National Publisher	08	08
	(b) Translation works in Indian and Foreign Language by qualified faculties	• 1 = 2	
	Chapter of Research paper	03	03
	Book	08	08

Paris Sunsh

मो० शाहनवाज, सहायक निदेशक-सह-प्रभारी पदाधिकारी, विधि कोषांग (उ०शि०)

	0 30		
3	Creation of ICT mediated Teaching, Learning pedagogy and content and development of new and innovative courses and curricula		
	(a)Development of Innovative pedagogy	05	05
	(b) Design of new curricula and courses	02 per curricula/course	02 per curricula/cours
_	(c) MOOCs		
	Development of complete MOOCs in 4 quadrants(420 credit course) (In case of	20	20
	MOOCs of lesser credits 05 marks/credit)		
	MOOCs(developed in 4 quadrant) per module/lecture	05	05
	Content writer/subject matter expert for each module of MOOCs (at least one quadrant)	02	02
	Course Coordinator for MOOCs (4 credit courses)(In case of MOOCs of lesser credits 02 marks/credit)	08	08
10	l)E-Content		
	Development of E-Content in 4 quadrants for or complete course/e-book	12	12
!	E-Content (developed in 4 quadrants) per module	05	05
	Contribution to development of E-Content module in complete course/paper/e-book(at least one quadrant)	02	02
	Editor of e-content for complete course/paper/e-book	10	10
(a	) Research guidance		**************************************

Such 2223

मो० शाहनंद्याज, महायक निदेशक-मह प्रधारी पदाधियारी, विधि कोषांग (३०शिक)

8	_ *
1	26/
74	W

	3	10 per degree	10 per degree awarded
		awarded	05 per thesis submitted
1	Ph.D	05 per thesis	os per mesis suomitted
	2	submitted	
	M.Phil/P.G. dissertation	02 per degree awarded	02 per degree awarded
	(b) Research Projects		
	Completed	1	
	More than 10 lakhs	10	10
	Less than 10 lakhs	05	05
	(c) Research projects ongoing:	1811	
	More than 10 lakhs	05	05
	Less than 10 lakhs	- 02	02
	(d)Consultancy	03	03
5	(a) Patents		-
	International	10	10
	Nation	07	07
-	(b)*Policy Document (St	ibmitted to an	
	International body/or		
	UNO/UNESCO/World Bank/ International		: 6:
	Monetary Fund etc. or Co	entral government	
	or State Government).	-	
	International	10	10
	National	07	07
	State	04	04
	(c) Awards/Fellowship		
	International	07	07
	National	05	05
6	*Invited lectures/Resource	Person/paper	
	presentation in Seminars/Confer		
1	conference Proceedings (Paper presented in seminars/Conferences and also published as full		
*			2
1	paper in conference Proceedings only once)		
	International (Abroad)	07	07
	International (within country)	05	05
	National	03	03

Der felt of of of

मो० शाहनंदाज, महायक निदेशक-सह-प्रभाग पदाधिकारी, विधि कोषांग (उ०णि०) 8 2 227



#### Table 3

# The Research Score for papers would be augmented as follows:

Peer reviewed /UGC listed journals (Impact factor to be determined as per Thomson Reuters list):

- i. Paper in referred journals without impact factor 5 Points
- ii. Paper with impact factor less than 1 10 Points
- iii. Paper with impact factor between 1 and 2 15 Points
- iv. Paper with impact factor between 2 and 5 = 20 Points
- v. Paper with impact factor between 5 and 10 = 25 Points
- vi. Paper with impact factor >10 30 Points
- a. Two authors: 70% of total value of publication for each author
- b. More than two authors: 70% of total value of publication for the First/Principal/Corresponding author and 30% of total value of publication for each of the joint authors.

Joint Projects: Principal Investigator and Co-investigator would get 50% each.

### \* Note 6.

 Paper presented if part of edited book or proceeding then it can be claimed only once.

It ship h

मो० शाहनंदोज, मो० शाहनंदोज, पद्मायक जिंद्शक सह प्रभाग (दर्शाक) विध कोषांग (दर्शाक)

Bonner 23

- \*For joint supervision of research students the formula shall be 70% of the total score for Supervisor and Co-supervisor. Supervisor and Co-supervisor, both shall get 7 marks each.
- For the purpose of calculating research score of the teacher, the combined research score from the categories of 5(b). Policy Document and 6. Invited lectures / Resource Person /paper presentation shall have an upper capping of 30% of the total research score of the teacher concerned.
- The research score shall be from the minimum of three categories out of six categories.

प्रिय प्रमान प्